प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.03.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.10.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी फरमान की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्तगण 1.नूरहसन भाटी 2.अफजल 3. अरशद 4. मोइन 5. नाजिम पुत्र कल्लन निवासीगण दौलत नगर कालोनी सादाबाद दुगरावली थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा वादी के साथ धोखाधडी कर प्लाट के फर्जी व कूटरचित कागजात तैयार कर वादी को बेच देना व ना ही प्लाट देना व ना ही पैसे वापस करना व नूरहसन व उसके साथियों द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा- 318(4)/338/ 336(3)/340(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 28.03.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अफजल पुत्र मुनीम निवासी गिरजाघर के पास दौलतनगर कालोनी सादाबाद दुगरावली थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर षडयन्त्र कर ग्राम पावी सादकपुर तहसील लोनी गाजियाबाद खसरा नं0-973 में स्थित 100 वर्ग गज प्लाट के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर उस प्लाट को फरमान को बेच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अफजल पुत्र मुनीम निवासी गिरजाघर के पास दौलतनगर कालोनी सादाबाद दुगरावली थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित 11500 रुपये, 01 एलईडी टीवी, 01 बैटरा व 01 सिलेंडर बरामद।

दिनांक 22.02.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा पंप हाउस व बारात घर गाँव बन्दीपुर से 01 एलईडी, 01 डीवीआर, 01 सेट अप बॉक्स, 02 बैटरी बडी, 01 इन्वर्टर, 01 इंडक्सन, 01 गैस चूल्हा, 01 घरेलू सिलेंडर चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 305 (a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात अभियुक्तगण की तलाश/ गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 28.03.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण 1.आसिफ पुत्र वकील निवासी जलालपुर रोड मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 2.मोइन पुत्र खुरसाद डबल टंकी के पास चामुण्डा थाना मुरादनगर उम्र करीब 20 वर्ष 3.जुबैर पुत्र सब्बू निवासी डबल टंकी ईदगाह के पास थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त चोरी व ग्राम मकरेडा से चोरी की घटना से सम्बन्धित 11,500 रुपये, 01 LED TV, 01 बैटरा, 01 सिलेंडर बरामद हुआ। उक्त बरामदगी व साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना मुरादनगर पर पंजीकृत दोनों अभियोगों में धारा 317(2), 331(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त आसिफ उपरोक्त ने बताया कि मेरे पास जो पैसे मिले हैं वो मैंने मोइन के साथ मिलकर ग्राम मकरेडा से घर के पीछे की दीवार को तोड़कर चोरी किये थे, यह वही रूपये हैं। अभियुक्त मोइन उपरोक्त ने बताया कि मैं आसिफ के साथ मिलकर चोरी करता हुँ। चोरी का पूरा माल आसिफ ही बेचता है, मुझे वो पैसे देता है। मकरेडा गांव में दिनांक 21/03/2026 की रात को आसिफ मुझे लेकर गांव मकरेडा में गया था। वहाँ आसिफ ने सब्बल से उखाड़कर घर की दीवार पीछे से तोड़ दी थी। उसके बाद मैंने व आसिफ ने टूटी दीवार के सहारे अन्दर जाकर कमरे में चोरी की थी। चोरी करने के बाद आसिफ ने मुझे बस 5000 रूपये दिये थे। जिसमें से 2000 मेरे पास है बाकी मुझसे खर्च हो गये है। अभियुक्त आसिफ ने पूछने पर बताया कि मैं अलग-अलग लोगों को साथ में लेकर अलग-अलग जगह से चोरी करता हूँ। ग्राम मकरेडा में मैंने मोइन को साथ लेकर चोरी की थी, जहाँ सोने का सामान व 01 एलईडी व 4-5 हजार रूपये मिले थे। सोने का सामान, अगले दिन ही एक व्यक्ति को बेच दिया था जिसका नाम व पता मुझे मालूम नहीं है। सोना बेचकर जो पैसे मिले थे वह पैसे मैंने शराब में खर्च कर दिये है व 5000 रूपये मैंने मोइन को दे दिये थे। जो पैसे चोरी किये थे उसमें से 9500 रूपये बचे थे जो आपको मेरे पास से मिले हैं। गाँव बन्दीपुर के बाहर पानी की टंकी के पंप हाउस व बारात घर का ताला तोड़कर रात में मैंने व जुबैर ने लगभग एक महीना पहले चोरी की थी और उसी चोरी की घटना में हमने जो सामान चोरी किया था वह सारा सामान मैंने चलते-फिरते कबाड़ियों को बेच दिया है। उसमें से 01 बैटरा व 01 घरेलू गैस सिलेंडर (इण्डियन कम्पनी) का हमारे पास बचा है। अभियुक्त जुबैर उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने व आसिफ ने गाँव बंदीपुर के बाहर पानी की टंकी के पंप हाउस की छत से घुसकर व बारात घर का ताला तोड़कर रात के समय चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.आसिफ पुत्र वकील निवासी जलालपुर रोड मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष
2.मोइन पुत्र खुरसाद डबल टंकी के पास चामुण्डा थाना मुरादनगर उम्र करीब 20 वर्ष
3.जुबैर पुत्र सब्बू निवासी डबल टंकी ईदगाह के पास थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब-19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.अभियुक्त आसिफ व जुबैर उपरोक्त के कब्जे से 01 बैटरा व 01 घरेलू गैस सलेंडर (इण्डियन कम्पनी) बरामद।
2.अभियुक्त आसिफ व मोइन उपरोक्त से 01 एलईडी टीवी, लोहे का सब्बल व कुल 11,500 रूपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

1.अभियुक्त आसिफ उपरोक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में उपरोक्त घटना सहित चोरी के 02 अभियोग, जनपद मेरठ में 01 अभियोग चोरी, जनपद बागपत में 03 चोरी के (कुल 06) अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
2.अभियुक्त मोइन उपरोक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

3.अभियुक्त जुबैर उपरोक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्मैक (हेरोईन) कुल वजन 57 ग्राम व 3020 रुपये नगद व 01 मोबाईल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 28.03.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान महाराजपुर के खंडहर सिनेमा हाल से 01 अभियुक्त शोहेल खान उर्फ मोन्टी पुत्र रिजवान निवासी ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष स्मैक (हेरोईन) कुल वजन 57 ग्राम (कुल कीमत लगभग 11.50 लाख रु0) व 3020 रुपये नगद व 01 मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूंछताछ के दौरान बताया कि यह स्मैक मैं दिल्ली से एक लड़के से लेकर आया था, मैं उस लड़के का नाम पता नहीं जानता हूँ। इस माल को मैं दिल्ली से लाकर गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में मोटे दामों पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- शोहेल खान उर्फ मोन्टी पुत्र रिजवान निवासी ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- स्मैक (हेरोईन) कुल वजन 57 ग्राम (कुल कीमत लगभग 11.50 लाख रु0) ,3020 रुपये नगद व 01 मोबाईल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त शोहेल खान उर्फ मोन्टी पुत्र रिजवान के विरुद्ध गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर में चोरी, आर्म्स एक्ट, NDPS ACT के अन्तर्गत 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को दिलाई आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों, विवेचक द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री संजीव कुमार द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 364A/302/201/120B भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में आज दिनांक 28.03.2026 को अभियुक्तों 1. मनीष पुत्र सुभाष 2. रोहित पुत्र सुभाष निवासीगण ग्राम समस्तपुर सुराली थाना दौराला जनपद मेरठ 3. विकास पुत्र रामभूल निवासी ग्राम अजराडा थाना मुण्डाली जनपद मेरठ को मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04 गाजियाबाद द्वारा धारा 302/120B भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 364A/120B भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड व धारा 201 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से एवं अभि0 विकास को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में भी 02 वर्ष के कठोर कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तों ने वादी के पुत्र का फिरौती हेतु अपहरण कर हत्या करके शव को जंगल में छिपा दिया था जिसके सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद पर दिनांक 04.05.2024 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री संजीव कुमार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)	**मु0आ0 जितेन्द्र कुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**म0आ0 पूनम राणा** पैरोकार थाना नन्दग्राम